विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

<u>प्रकरण क्रमांक L00-10/15</u>

मेसर्स जय महाकाल आईल मिल्स — आवेदक
ग्राम–सिरलाय, तह. बड़वाह,
जिला–खरगोन (म.प्र.)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री(संचा./संधा.) संभाग, — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
बड़वाह, जिला–खरगोन(म.प्र.)

आदेश
(दिनांक 18.08.2015 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0291315 मेसर्स जय महाकाल ऑईल मिल विरूद्ध कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) संभाग, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. बड़वाह में पारित आदेश दिनांक 11.03.2015 के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में दर्ज प्रकरण क्रमांक एल00–10/15 में तर्क हेतु उभय पक्षों को दिनांक 17.8.2015 को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 तर्क के दौरान आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि उनका एक औद्योगिक विद्युत कनेक्शन ग्राम सिरलाय तह. बड़वाह में स्थापित है।

04 आवेदक द्वारा बताया गया कि उनका विद्युत कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र में है परन्तु उन्हें शहरी क्षेत्र के लिए निर्धारित टैरिफ के अनुसार विद्युत देयक दिया जा रहा है। आवेदक द्वारा यह भी बताया गया है कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2006–07 के बाद से समय–समय पर जारी टैरिफ में उल्लेखित निम्नदाब उपभोक्ताओं के लिए सामान्य निबंधन शर्तों की कंडिका 1 में ग्रामीण क्षेत्र को म.प्र. शासन की अधिसूचना दिनांक 25.3.2006 में परिभाषित किया गया है। आवेदक द्वारा तर्क में कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित टैरिफ से ही उनके विद्युत

कनेक्शन की बिलिंग की जाना चाहिए चाहे उस क्षेत्र में विद्युत प्रदाय शहरी क्षेत्र के फीडर से किया जा रहा हो।

05 अनावेदक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि ग्राम सिरलाय में विद्युत औद्योगिक कनेक्शन को विद्युत प्रदाय 11 केवीए इण्डस्ट्रीयल फीडर से किया जा रहा है। अतः उन्हें शहरी क्षेत्र हेतु निर्धारित टैरिफ ही लागू होगा।

06 आवेदक एवं अनावेदक के मध्य निष्पादित अनुबंध में भी शहरी क्षेत्र में लागू टैरिफ का उल्लेख किया गया है। अनावेदक द्वारा आवेदक को जनरल मैनेजर जिला खरगौन द्वारा जारी लीज डीड प्रस्तुत की है जिसमें आवेदक के कनेक्शन को औद्योगिक क्षेत्र सिरलाय में स्थापित होने का उल्लेख है। जिसके अनुसार अनावेदक द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक का विद्युत कनेक्शन औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित है तथा ग्राम सिरलाय को 24 घंटे लगातार विद्युत प्रदाय किया जा रहा है इसलिए उन्हें शहरी क्षेत्र के लिए लागू टैरिफ ही लागू होगा।

:: निष्कर्ष ::

उपरोक्त तथ्यों, तर्कों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों की विवेचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि –

07 आवेदक का विद्युत कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र में ही स्थापित है तथा अनावेदक इस संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका कि यह विद्युत कनेक्शन शहरी क्षेत्र में स्थापित है।

08 अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लीज डीड से इस बात की पुष्टि तो होती है कि आवेदक का विद्युत कनेक्शन औद्योगिक क्षेत्र में सिरलाय ग्राम में है जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र है। इस संबंध में वर्ष 2010–11 एवं उसके बाद जारी टैरिफ आदेश की सामान्य निबंधन की शर्तों के बिन्दु (आर) में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर जो कि शासन द्वारा अधिसूचित किया गया है में ही शहरी क्षेत्र का टैरिफ लागू होगा।

09 अनावेदक का यह भी कहना कि अनावेदक एवं आवेदक के मध्य निष्पादित अनुबंध में टैरिफ दर शहरी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है अतः अनुबंध की समाप्ति होने तक उन पर शहरी क्षेत्र का ही टैरिफ लागू होगा मान्य नहीं है क्योंकि अनावेदक द्वारा अनुबंध करते समय माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित एवं सही टैरिफ का उल्लेख अनुबंध में किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया।

12 अनावेदक द्वारा यह कहा जाना कि आवेदक के विद्युत कनेक्शन को शहरी क्षेत्र के फीडर अथवा एक्सप्रेस फीडर से लगातार 24 घंटे विद्युत प्रदाय की सुविधा दी जा रही इसलिए उन्हें शहरी क्षेत्र के लिए लागू विद्युत दर के अनुसार बिलिंग की गई है, टैरिफ आदेश वर्ष 2006–07 एवं उसके बाद समय–समय पर जारी टैरिफ की सामान्य निबंधन की शर्त के बिन्दु क्रमांक 1 के प्रावधान के विपरीत है।

13 माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर जारी टैरिफ आदेश में सामान्य शर्त के बिन्दु क्रमांक 1 पर ग्रामीण क्षेत्र को परिभाषित किया गया जिसमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.5.2006 में शामिल किये गये ग्रामीण क्षेत्र ही माना जाएगा जिसके अनुसार आवेदक को ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू टैरिफ ही लागू होगा।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर आदेशित किया जाता है कि अनावेदक आवेदक को माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर जारी टैरिफ आदेश की सामान्य निबंधन की शर्तों के बिन्दु क्रमांक 1 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित टैरिफ दर के अनुसार ही विद्युत देयक जारी करें।

फोरम के आदेश को अपास्त किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल